न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 31/2023-24
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष.......... मदर साहु .... वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष .... घुरन साहु .... वगैरह

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	वाद की कार्रवाई थाना पालकोट अप्राथमिकी सं० 01/2023 दिनांक 04.05.2023 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) मदर साहु उम्र करीब 50 वर्ष, (2) कन्दरू साहु उम्र करीब 48 वर्ष दोनों के पिता– स्व0 रूदा साहु, सभी साकिन,मौजा– बघिमा, थाना– पालकोट, जिला– गुमला के बीच खाता सं0 – 56 प्लॉट सं0– 4083 कुल रकबा 0.80 एकड़ जमीन को लेकर का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी, पालकोट के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है। **प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–** प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि खाता सं0 – 56 प्लॉट सं0– 4083 कुल रकबा 0.80 एकड़ एवं प्लॉट सं0 4869 रकबा 0.58 एं0 और प्लॉट सं0 4870 रकबा 0.24 ए0 और प्लॉट सं0 4454 रकबा 2.72 ए0 जमीन प्रथम पक्ष बक्सीसनामा पट्टा द्वारा हासिल किया गया है। जिसका पट्टा सं0 671 है। प्रथम पक्ष के पिता– रूदा साहु के नाम से वक्सीसनामा पट्टा है। प्रथम पक्ष के सदस्यगण अपने गॉव का एक गरीब विधिपालक नागरिक है और विधि एवं व्यवस्था का बहुत आदर करते है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण विधि व्यवस्था का आदर नहीं करते है, बल्कि उनलोगों ने विधि को अपने हाथों में ले रखा है। ये लोग असमाजिक तत्व है और अपने गॉव में आतंक मचाये हुए है। उपरोक्त खाता के जमीन पर प्रथम पक्ष साल वो साल सरकारी मालगुजारी झारखण्ड सरकार को अदा करते आ रहे है। प्रथम पक्ष के उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्यण अपनी ललचायी आँखें गडाये हुए है, वे लोग प्रथम पक्ष के जमीन पर अवैध तरीके और क्रूर बल से हड़पना चाहते है। प्रथम पक्ष के उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्यण द्वारा नींव खोद कर घर बना रहे है और चारो और दीवार उठा चुके है और उपरोक्त जमीन को बिक्री भी कर रहे है।	

रामनाथ साहु
↓
मिटकू साहु
↓
वादो साहुवाईन
↓
रूदा साहु (पति)
↓

कन्दरू साहु	मदरा साहु	राजू साहु

प्रथम पक्ष के सदस्यों द्वारा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को दिनांक 26.02.2023 ई0 को घर बनाने से मना करने पर कहा कि ये हमारा जमीन है, तुम लोग कौन होते हो माना करने वाला यहां से भाग जाओं नही तो मार के यही नींव गड्डा में गाड़ देगें। हमलोग डर के किसी प्रकार अपन जान बचा कर भाग गये। द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा परिशांति भंग करने और जान से मारने की घोर आशंका है और किसी भी समय द्वितीय पक्ष के द्वारा लड़ाई झगड़ा कर सके है और किसी भी समय प्रथम पक्ष के सदस्यों को जान से मारने की आशंका है।

उपरोक्त परिस्थितियों में द्वितीय पक्ष के सदस्यों के विरूद्ध धारा 144 द.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तथा उन्हें उपरोक्त भूमि पर जाने से रोका जाय।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष के सदस्यगण को घर बनाने से रोका जाय और उचित कानूनी कार्रवाई की जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 लिखित जवाब ।
2 पट्टा।
3 शुद्धि पत्र।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम के सदस्यों के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरूद्ध में धारा 144 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याया संगत नहीं है तथा वाद खारीज योग्य है। मौजा – बघिमा थाना सं० 64 थाना– पालकोट, जिला–गुमला का खाता सं० 56 प्लॉट सं० 4083 4869, 4870 एवं 4454 रकबा क्रमश – 0.80 डी0 0.58 ए० 0.24 ए० एवं 2.72 ए० कुल रकबा 4.34 ए० भूमि से सम्बन्धित है जिसको विवादित बताया जा रहा है द्वितीय पक्ष का खरीदगी जमीन है तथा द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत में खाता 56 प्लॉट सं० 4083 रकबा 0.80 ए० से सम्बन्धित है। मौजा–बघिमा के खाता नं0– 56 रकबा 09.22 ए० भूमि मिटकू साहु वल्द रामनाथ साहु मौजा,ग्राम –बघिमा, थाना–पालकोट, जिला–रांची (गुमला) के द्वारा रूदा साहु वल्व भदरू साहु मुतवपर है खुद ओवली बाप हकीकी नवा लिगान, मदरा साहु वो कन्दरू साहु वो राजु साहु पिता– रूथा साहु ग्राम,मौजा–बघिमा थाना–पालकोट, जिला–रांची को बकसीसनामा पटटा सं०– 671 दिनांक 18.3.1982 को लिख दिया गया है। इस पटटा में विवादित जमीन खाता सं० 56 प्लॉट सं० 4083, 4869, 4870, 4454 दर्ज है । बक्सीसनामा पटटा 671 दिनांक 18.3.1982 से प्राप्त जमीन खाता सं० 56 प्लाट नं0– 4454 रकबा 2.72 ए० भूमि को रूदा साहू वल्प मदरू साहु ओवली बाप हकोको नाबालिगान मदरा साहु वो कंदरू साहु वो राजु साहु वल्द रूदा साहू मौजा,ग्राम–बघिमा, थाना– पालकोट जिला–रांची (गुमला) के द्वारा पटटा सं०– 2008 दिनांक 1.9.1982 को चरका साहु वो हरखु साहु वो सागर साहु वो सकल साहु वल्द ढिढु साहु मौजा–बघिमा, थाना–पालकोट, जिला– रांची (गुमला) से बिक्री कर दिया गया है।

पटटा सं०– 2008 दिनांक 1.9.1982 में खरीदी गई जमीन को पटटाधारी दखलकार होकर खेती बारी करने लगे और अंचल कार्यालय पालकोट से दाखिल खारिज कराये । जिसका दा०आ०सं० 6/92–93 है शुद्धि पत्र निर्गत एव रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष बालिग होने पर बकसीसनामा पटटा से 671 दिनांक 18.3.1982 से प्राप्त अमीन खाता सं० ने 56 प्लाट सं० 4869, 4870 एवं 4083 रकबा 0.58ए०, 0,24ए० एवं 0.80ए० कुल रकबा 1.62ए० भूमि को मदरा साहु खुद ओवली भाई हकीकी नवालिगान कन्दरू साहु वो राजु साहु वल्द रूदा साहु मौंजा,ग्राम–बधिमा, थाना–पालकोट, जिला–गुमला के द्वारा पटटा सं०– 2291 दिनांक 17.10.1986 ई० में चरका साहु वो हरखु साहु वो सागर साहु वो सकल साहु वल्द ढिढू साहु ग्राम,मौजा–बधिम थाना–पालकोट, जिला–गुमला से बिक्री कर दिया गया है। पटटा सं०– 2291 दिनांक 17.10. 1986 में खरीदी गयी जमीन मैं पटटाधारी दखलकार होकर खेती बारी करने लगे और पटटा धारी अंचल कार्यालय पालकोट से दा०खा० कराये। जिसका दा०खा० वाद सं० 5/92–93 है तथा शुद्धिपत्र निर्गत एवं रसीद निर्गत है ।

पटटाधारी को रूपैया का जरूरत पड़ा तो पटटा सं०– 2291 दिनांक 17.10.1986 से खरीदा जमीन खाता सं० 56 प्लाट सं० 4083 रकबा 0.80ए० में से 0.16ए० जमीन को पटट्टा सं०– 796 दिनांक 08.04.1992 ई0 में कृष्णा साहू, इन्द्रमैन साहू, सुमती साहु, हुलेश्वर साहु से बिक्री कर दिया गया है और पटटाधारी खरीदी गयी जमीन को बँटवारा कर लिये । प्रथम पक्षक मदरा साहु के द्वारा न्यायालय एडीशनल मुन्सिफ गुमला में कैश कर दिया गया। जिसका हक वाद सं०– 27/1992 है जिसमें प्रथम पक्ष मदरा साहु वादी बनाम चरका साहू वो हरकु साहू वो सागर साहु वो सकल साहु पिता– ढिढू साहु, एवं कृष्णा साहु वो रुद्रमैन साहु पिता– स्व० कुलदीप साहु वो कपिल साहु, पिता–तुलेश्वर साहू वो हुलेश्वर पिता–कपिल साहु प्रतिवादी थे। इस हक वाद का निष्पादन दिनांक 04.10.2005 ई० में आदेश हुआ है जिसमें वादी का आवेदन को खारिज किया गया है। द्वितीय पक्ष घुरन साहु, पिता– स्व० चरका साहू को पैसा का जरूरत पड़ा तो खाता सं०– 56 प्लाट सं० –4083 रकबा 0.80ए० में बँटवारा हिस्सा मिला जमीन को बिक्री कर दिया और जमीन खरीददार खरीदी जमीन पर घेरा करने लगा तो प्रथम पक्ष के द्वारा थाना पालकोट में लिखित आवेदन दिया । थाना प्रभारी, पालकोट के द्वारा जाँच कर हुजूर के न्यायालय में जाँच रिपोर्ट प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया । पुलिस जांच रिपोर्ट में जमीन खरीददार जमीन घेरा करने का रिपोर्ट सही है लेकिन द्वितीय पक्ष का खरीदी गयी जमीन पर दखल कब्जा को बंटवारा करने का रिपोर्ट गलत है । प्रथम पक्ष के द्वारा बंटवारा का बात है तो बिना आधार का बात है इसलिए न्यायालय को गुमराह करने के लिए यह रिपोर्ट है, चूँकि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से बिक्री कर चुके है, करीब 37 वर्ष हो रहा है तब से विवादित जमीन में द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार से शांति भी नहीं हो सकता है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रथा पक्ष के द्वारा धारा 144 द० प्र० स० के अंतर्गत आवेदन को खारिज का आदेश पारित किया जाय ।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 जवाब की प्रति।

2 पट्टा।

3 लगान रसीद

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचती हूँ कि वादगत भूमि खाता सं0– 56 प्लॉट सं0– 4083 रकबा 0.80 एकड़ संबंधित है [illegible] लिया है। वादगत भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद की बिना किसी गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.07.03 14:32:56 +05:30
Location: 192.168.1.3

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।